संक्षिप्त

विकास परियोजना का शुभारंभ

उदयपुर, । जनजाति क्षेत्र में हो रहे पलायन को रोकने तथा गांव के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम में ही रोजगार के साधन विकसित किये जाने के लिए संसदीय संकुल विकास परियोजना का शुभारम्भ शनिवार को होगा। यहकार्यक्रम उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। आयोजक सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने बताया कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 2 संकुल का चयन किया गया है। पहला उदयपुर जिले में देवास, झाडोल जिसे राणा पूंजा संकुल नाम दिया है तथा दूसरा सलूम्बर जिले का चावंड है, जिसे महाराणा प्रताप संकुल नाम दिया है। उक्त संकुलों में चयनित ग्राम समूहों में विभिन्न विकास कार्य जैसे आधुनिक एवं प्राकृतिक कृषि एवं वन आधारित उत्पादों को बढाना पशुपालन, कौशल विकास, मत्स्य पालन, सिचाई, जलग्रहण इत्यादि के माध्यम से आजीविका को बढावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वी. सतीश , संघटक, भारतीय जनता पार्टी होंगे। यह कार्यक्रम बप्पा रावल सभागार, विवि अतिथि गृह, मोहनलाल सुखाडिया विवि परिसर में सुबह साढे दस बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी के अलावा शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती तथा सलूंबर विधायक शांता मीणा भी शामिल होंगे।

वृद्धा से जेवरात की ठगी

उदयपुर,।वृद्धावस्था पेंशन दिलाने का झांसा देकर नकाबपोश महिला वृद्धा के जेवरात की ठगी कर ले गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सवेरे धानमण्डी स्थित मंदिर में धानमण्डी निवासी मगनबाई पूजा कर रही थी। इस दौरान नकाब पहने महिला मंदिर में आई तथा वृद्धा अवस्था पेंशन दिलाने की बात कही। इस दौरान झांसा देकर वह मगनबाई को ऑटों में बिठा कर नगर निगम ले गई। वहां कार्यालय बंद होने पर वह उसे वह फोटो खिंचवाने के लिए सुखाडिया सर्कल ले गई। जहां फोटों खिचने के दौरान जेवरात खुलवाने की बात कहते हुए उसके कान के टॉप्स, गले से सोने की चेन मय पेंण्डल लेकर फरार हो गई। ठगी का पता चलने पर रोते बिलखते देख लोगों की मदद से वह अपने घर पहुंची। जहां परिजनों को आपबीती बता कर पुलिस थाने पहुंच कर प्रकरण दर्ज करवाया। जिसकी जांच हेडकांस्टेबल विष्णुप्रसाद को सौंपी है।

जेवर लूटने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, । शहरके हिरणमगरी थाना पुलिस ने वृद्ध से जेवरात लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीडित केसुलाल पुत्र कसना जी लौहार निवासी सहिाडा खेरोदा हॉल आवरी माता कच्ची बसती हिरणमगरी ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि 31 जनवरी रात में मैं सबसिटी सेंटर शॉच करने के लिए गया था। वहां से निकलते समय आवरी माता कच्ची बस्ती निवासी दीपक पुत्र रमेश मोगिया ने धमका कर मेरे कान के सोने के लोंग छिन कर फरार हो गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा,पुलिस उप अधीक्षक महिपालसिंह के सुपरविजन में हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में हेडकांस्टेबल रामस्वरूप मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों एवं पीडित से की गई पूछताछ के आधार पर आरोपी दीपक मोगिया को गिरफ्तार किया।

नेत्र जांच शिविर प्रारम्भ

उदयपुर, । उद्यान एवं विकास समन्वय समिति एवं एएसजी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में तीन दिवसीय नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारम्भ शहर विधायक ताराचंद जैन के मुख्य आतिथ्य एवं ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा व सेटेलाइट अस्पताल के अधीक्षक डॉ राहुल जैन के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। अध्यक्षता कैलाश दान भीमावत ने की। समिति सचिव गौतम लाल चौबीसा ने बताया कि शिविर में कुल 600 लोगों का नि:शुल्क नेत्र जांच कर परामर्श प्रदान की जाएगी। एएसजी नेत्र चिकित्सालय के डॉ रोहित कुमार योगी, डॉ आशीष दुबे, डॉ अंजू भारी, डॉ नैतिक पटेल सहित अन्य डॉक्टर्स की टीम सेवाएं दे रही हैं। इस अवसर पर एरिया सेल्स मैनेजर प्रताप सिंह खरवड ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया।

मध्य प्रदेश में जैन मुनियों के ऊपर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ एडीएम को सौंपा ज्ञापन

राजसमंद। मध्य प्रदेश में जैन मुनियों के ऊपर हुए जानलेवा हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर एडीएम नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपते समाजजन।

■ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग

राजसमंद, । मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा क्षेत्र के कछोला गांव के हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन मुनियों पर जानलेवा हमला करने वाले दोषियों को सख्त सजा देने एवं मामले की न्यायिक जांच करने की मांग को लेकर गुरूवार को महावीर मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर एडीएम नरेश बुनकर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश के कछोला गांव में हुई इस वारदात को लेकर समूचे भारत के जैन समाज में तीव्र आक्रोश हैं। जैन मुनियों के साथ हुई जानलेवा हमले के खिलाफ शहर के सकल जैन समाज के बडी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने 1०० फीट रोड के जेके गार्डन में एकत्रित होकर रैली के रूप में जिला कलेक्ट्री पहुंचे। जहां पर एडीएम को ज्ञापन सौपा। मंच के मंत्री सूरज कुमार रातडिया ने कलक्ट्रेट गेट पर ज्ञापन का वचन करके इस मामले की न्यायिक जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होने बताया कि इस शर्मनाक घटना से हम इसलिए भी शर्मिंदा हैं कि हमारे सनातन धर्म हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमानजी के मंदिर पर बदमाशों ने यह शर्मनाक वारदात की हैं। यह घटना न केवल समाज की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी अपमान हैं। जैन धर्म हमें करुणा, सहिष्णुता और सम्मान सिखाता हैं। इस दौरान महावीर मंच महामंत्री सूरज रातडिया, उपाध्यक्ष सुधीर पगारिया, सुनील चव्हाण, स्थानकवासी समाज अध्यक्ष महेश पगारिया, महामंत्री रोशन डांगी, पूर्व जिपस ललित चोरडिया, मूर्ति पूजक संस्था अध्यक्ष विमल पोरवाल, मंत्री अशोक चोरडिया, श्रमण संघ ज्ञानगच्छ अध्यक्ष बापूलाल चपलोत, मंत्री जम्बुकुमार ओस्तवाल, रश्मि हिंगड, रीनू, लीना रांका आदि उपस्थित थे।

लूट की योजना बनाते तीन बदमाश गरफ्तार

उदयपुर,। खेरवाड़ा कस्बे में सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात करने की योजना बनाते तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया तथा विधी से संघर्षरत दो बाल अपचारियों को डिटेन कर इनके कब्जे से तलवार, चाकू व सरिये बरामद किए।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहर के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी दिग्विजयसिंह के नेतृत्व में एएसआई राकेश मेहता मय दल ने गुरूवार रात में गश्त के दौरान करनाउवा के पास हाइवे पर बैठ कर कस्बे में सोना चांदी के व्यापरी के वहां पर लूट की योजना बनाते आरोपी राजपाल पुत्र रवी प्रकाश उर्फ काउवा कलासुआ निवासी बंजारिया फला कलासुआ, आर्यन पुत्र बाबूलाल निवासी जाबला टीड़ी, अभिषेक पुत्र बाबूराम निवासी बंजारिया को गिरफ्तार किया तथा साथी विधी से संघर्षरत दो बाल अपचारियों को डिटेन किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू, तलवार, सरिये व लठ्ठ बरामद कर प्रकरण दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ हाइवे पर लूट करने के पूर्व में भी मामले दर्ज हो चुके है। प्रकरण की जांच एएसआई राकेश मेहता कर रहे है।

जन सहयोग एवं जन जागरूकता से ही उदयपुर की विरासत का संरक्षण संभव

■ विश्व विरासत दिवस पर उदयपुर की विरासत विषय वेबिनार का आयोजन

■ उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के सार्थक प्रयास युद्ध स्तर पर करने होंगे

उदयपुर, । उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के सार्थक प्रयास युद्ध स्तर पर करने होंगे ,केवल संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, तथा उसके लिए बजट जारी हो जाने पर भी उनका उचित संरक्षण हो जरूरी नहीं है । इसका प्रमाण स्मार्ट सिटी द्वारा आयड नदी पर 75 करोड खर्च करने , या नवलखा महल पर 60 लाख खर्च करने पर ,या जगदीश मंदिर पर 75 लाख खर्च करने पर भी वांछित परिणाम नहीं मिल सके है ।

इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विवि द्वारा विश्व विरासत दिवस पर उदयपुर की विरासत विषय आयोजित वेबिनार के संयोजक डॉ. पीयूष भादविया, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, ने बताया कि वेबिनार में उपरोक्त विचार उभर कर आए। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रो. महेश शर्मा ने बताया कि उदयपुर की सबसे पुरानी विरासत आयड नदी में स्मार्ट सिटी द्वारा 5 किलो मीटर क्षेत्र में 75 करोड खर्च करने के बाद आज पहले से अधिक मल जल बह रहा है। इसी प्रकार गुलाब बाग में स्थित ऐतिहासिक नवलखा महल जहां पर वर्ष 1882 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी , जिसे हाल ही में स्मार्ट सिटी द्वारा 60 लाख बजट रख कर सौंदर्यीकरण किया गया था उसे पुन: तोड कर नट बोल्ट तथा लोहे के स्ट्रक्चर से नया रूप दिया जा रहा है । इसी प्रकार जगदीश मंदिर पर 75 लाख खर्च करने पर भी अपेक्षाकृत परिणाम सामने नहीं आए। आज वहां कई मूर्तियां खिज गई है । अत: जरूरी है कि विरासत संरक्षण में जन भागीदारिता सुनिश्चित हो । अध्यक्ष सतीश कुमार श्रीमाली, पूर्व अतिरिक्त प्रमुख शहरी योजना, ने कहा कि पुरानी शहरी दीवार के अंदर बसा उदयपुर पूर्ण व्यवस्थित था, लेकिन जैसे ही शहरी योजना गैर-विशेषज्ञ लोगों के हाथ में गई, उदयपुर को इसका नुकसान उठाना पडा। उन्होंने उदयपुर की पर्यावरणीय विरासत पर चर्चा करते हुए समोर बाग एवं गुलाब बाग के मीठे कलमी जामुन तथा गोला आम की बात कही। उनके कहा की यहाँ के मूल वृक्ष ही लगाने चाहिए

वेबिनार में मुख्य अतिथि प्रताप गौरव केन्द्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने अपने उद्बोधन में कहा कि उदयपुर की विरासत के कारण ही यहाँ के लोगो एवं पर्यटकों में उदयपुर के प्रति प्रेम भाव रहता हैं। उन्होने कहा कि प्रताप गौरव केन्द्र ने उदयपुर में करीब 500 विरासत के स्थान चिन्हित किए हैं। विशिष्ठ अतिथि विलास जानवे, पूर्व संयोजक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र ने उदयपुर के पुराने कलाकारों को यहां की अमूर्त विरासत को सहजने और आगे बढाने का श्रेय दिया। उन्होंने उदयपुर की विरासत को सहजने के लिए जनसहयोग का आहवान किया। विशिष्ठ वक्ता इतिहासकार डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू ने कहा कि उदयपुर की अपनी विशिष्ट स्थापत्य और निवेश की विरासत रही है, उसको बचानी चाहिए। मुख्य वक्ता प्रताप गौरव केन्द्र के शोध निदेशक डा. विवेक भटनागर ने नागदा के मंदिर को संरक्षित रखने की बात कहते हुए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के महत्व को बताया। आज के कारीगर, शिल्पकारों को इस तकनीक को संरक्षित रखना होगा। जावर स्थित खदान में प्रग्लन प्रक्रिया को विरासत बताया । वेबिनार में प्रारम्भ मे इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. प्रतिभा ने विभाग द्वारा उदयपुर की विरासत से संबंधित कार्यो की जानकारी दी। सीनियर प्रो. दिग्विजय भटनागर ने विरासत संरक्षण के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में डॉ. मनीष श्रीमाली, अमेरिका के अल्केश जावेरी, मोहित शंकर सिसोदिया, श्वेता पारीक, श्रुति जैन आदि एवं उदयपुर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया

उदयपुर,। शहर के प्रमुख चौराहा देहलीगेट पर यातायात पुलिस ने तलाशी के दौरान बाइक सवार को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से एक पिस्टल मय कारतूस बरामद किए। इस दौरान साथी बदमाश फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर के प्रमुख चौराहा पर हमेशा की तरफ तलाशी अभियान में लगी यातायात पुलिस की सर्तकता के चलते बाइक सवार को रोक उससे हेलमेट के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान मौका देख कर बाइक सवार भागने लगा। जिसे पिछा कर पुलिस ने दबोच लिया। लेकिन मौका मिलने पर उसका साथी फरार हो गया। इसको देख वहां मौजूद मौजूद यातायात पुलिस के जवानों द्वारा तलाशी ली तो उसके कब्जे में एक पिस्टल मय दस कारतूस व चाकू मिला है।

इस पर धानमण्डी थाना पुलिस को सूचना कर बाइक सवार को हथियार सहित पुलिस को सौंपा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। समाचार लिखे जाने तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि योगेन्द्र परमार बताया जाता है। साथी फरार आरोपी अम्बामाता पुलिस थाने का हिस्ट्रीशिटर दिलिप ढोली बताया जाता है। नैगड़िया टोल प्लाजा स्थित जमीन विवाद को लेकर दिलिप ढोली के रिश्तेदार के साथ विवाद चल रहा है। जिसको मारने के लिए जा रहे थे। इससे पहले पुलिस के हत्थे चढ गया।

पेयजल समस्या को दुरुस्त करने के निर्देश

राजसमंद, । हर गांव-ढाणी में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने को लेकर जिला प्रशासन पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के स्तर से इसकी दैनिक समीक्षा की जा रही हैं और कमियों को दूर करने के लिए निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत चारभुजा के राजस्व गांव भोपजी की भागल में 7 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद कुंए में मोटर के अभाव में पेयजल सप्लाई नहीं होने तथा कुंवारिया क्षेत्र में रावाखेडा बंजारा बस्ती में पेयजल समस्या का प्रकरण सामने आने पर जिला कलक्टर असावा ने दोनों क्षेत्र में ग्रामीणों को तत्काल प्रभाव से राहत प्रदान करने और हर घर पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिए हैं। दोनों की प्रकरणों में पीएचईडी ने सुचारू पेयजल सप्लाई के संबंध में जानकारी साझा की। पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता और कुंभलगढ सहायक अभियंता ने संयुक्त रूप से बताया हैं कि ग्राम पंचायत चारभुजा के राजस्व ग्राम भोपजी की भागल में कुल तीन प्रमुख बस्तियां स्थित हैं- गुर्जर बस्ती, भील बस्ती एवं परमारों की भागल। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में इस ग्राम में ट्यूबवेल एवं जीएलएसआर (स्थल स्तरीय सेवा जलाशय) की स्थापना कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। इसके अतिरिक्त डीएमएफ्टी से परमारों की भागल के लिए सौर ऊर्जा संचालित खुला कुंआ, टंकी एवं पाइपलाइन का कार्य स्वीकृत किया गया था, जो पूर्ण कर लिया गया हैं। इस नवीन प्रणाली के माध्यम से परमारों की भागल एवं भील बस्ती के कुछ हिस्सों में नल कनेक्शन के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही हैं। गुर्जर बस्ती एवं भील बस्ती के वे भागए जहां अभी तक पाइप लाइन नहीं बिछाई गई हैं और जो पंचायत की पूर्व जल प्रणाली (ट्यूबवेल आधारित) से जुडे हुए हैं, वहां पेयजल संचालन कमेटी का गठन न होने के कारण रखरखाव नहीं हो पा रहा हैं। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि परिणामस्वरूप, कुछ ही घरों तक पानी की आपूर्ति हो रही है एवं शेष क्षेत्र में हैंडपंप के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

28 जगहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था

उदयपुर, ।लेकसिटी में बढती गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने उदयपुर शहर के अलग.अलग सार्वजनिक जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने शहर में 28 जगहों पर छाया के साथ पानी का प्रबंध किया गया है। पिछले कछ समय से लगातार प्रचंड गर्मी को देखते हए पिछले कुछ समय से लगातार प्रचंड गर्मी को देखते हुए आमजन को किस प्रकार राहत प्रदान हो सके। इसके तहत नगर निगम ने शहर में 28 जगहों पर 15 गुणा 10 का शामियाना लगवाया है। इसके साथ वहां पर ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। निगम ने इन स्थानों पर एक महिला स्वयंसेवकों की सहायता से ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया. इस सुविधा का हर दिन हजारों शहरवासी और राहगीर लाभ ले रहे हैं। शहर में इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि उदयपोल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,नगर निगम,पहाडी बस स्टैंड,आरसीए कॉलेज के बाहर, सूरजपोल, पारस चौराहा, सुभाष चौराहा मल्लाह तलाई,खेमपुरा, ठोकर चौराहा, हिरण मगरी सेक्टर.4 चौराहा,रेती स्टैंड चौराहा, पुरोहितों की मादडी, चांदपोल, राडाजी चौराहा, फतहपुरा चौराहा, दूधिया गणेश जी, 80 फीट सज्जन नगर राडाजी मंदिर के पास, देहली गेट चौराहा, बेकनी पुलिया, सुखाडिया सर्कल, सेवाश्रम चौराहा, शहीद भगत सिंह कच्ची बस्ती पुलिया के पास, मुखर्जी चौक,गोवर्धन विलास चुंगी नाका, शिक्षा भवन चौराहा, बोहरा गणेश जी चौराहा,तथा दूधतलाई पर यह जल व्यवस्था आरम्भ की गई है।

हमेरपुरा गांव को निमड़ी पंचायत में शामिल किया

भीण्डर। प्रदेष सरकार द्वारा प्रस्तावित नवसृजित पंचायतों में षामिल गांवों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने की मियाद में भीण्डर पंचायत समिति के हमेरपुरा गांव के ग्रामीणों ने गुरूवार को उदयपुर जिला कलक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हमें प्रस्तावित निमडी पंचायत में षामिल नहीं करके वर्तमान पंचायत भोपाखेडा में ही यथावत रखा जाएं

वर्तमान भोपाखेड़ा पंचायत केवल 700 मीटर दूरी पर हैं स्थित

हमेरपुरा गांव के ग्रामीणों ने दिये ज्ञापन में बताया कि हमेरपुरा गांव भोपाखेडा के अनुकुल होकर पंचायत मुख्यालय से 700 मीटर तथा वर्तमान पटवार मण्डल भोपाखेडा मुख्यालय से राजस्व गांव हमेरपुरा की सीमा 200 मीटर दूर है तथा दोनो गांवो की आबादी एक छोर से आपस में भी मिली हुई है। जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत निमडी की दूरी लगभग 4 किमी है। समस्त सरकारी कार्यालय यथा- ग्राम पंचायत कार्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र, पटवार मण्डल, पशु चिकित्सालय, उचित मुल्य की दुकान व कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय भोपाखेडा में होने के कारण हमें काफी सहुलियत है, जबकि नीमडी काफी दूर होने के कारण आमजन, महिलाओं एवं बुजुर्ग नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा। रोजमर्रा के सामग्री हेतू भोपाखेडा बाजार जाना होता जिससे पंचायत के अन्य कार्य भी हो जाते है। जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत से किसी भी तरह का आर्थिक जुडाव नहीं है। हमेरपुरा गांव से लगभग 70-80 विद्यार्थी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतू वर्तमान में भोपाखेडा अध्ययनरत है। भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकुल होने के कारण एक भी विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन हेतू ना तो नीमडी जा रहे है और ना ही भविष्य में जाऐंगें। पंचायतीराज चुनाव का मतदान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है, जिसमें महिला विकलांग एवं बुजुर्ग मतदाता को मतदान हेतू वर्तमान ग्राम पंचायत बिलकुल नजदीक होने की सहूलियत के कारण मतदान प्रतिशत अधिक होता है, जबकि 4 किमी दूर स्थित नवसृजित ग्राम पंचायत में नही जा पाने के कारण मतदान भी कम या नहीं के बराबर होगा।

गीतांजली में मदर्स डे पोस्टर का विमोचन

गीतांजली में मदर्स डे पोस्टर का विमोचन करते अतिथिगण।

उदयपुर, । गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आगामी 10 मई को होने वाले मदर्स डे समारोह के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढाई।

अतिथि के रूप में हिमांशु सिंह राजावत (सर्कल इंस्पेक्टर, वर्तमान में क्राइम ब्रांच, उदयपुर), कुलदीप सिंह राव (पूर्व भारतीय टीम कप्तान, तीन बार के स्वर्ण पदक विजेता एवं जिला आइकन), तथा दीपक शर्मा (राष्ट्रीय पिस्टल शूटर एवं राष्ट्रीय बाइक रेसिंग चैंपियन) उपस्थित रहे। इनके साथ ही प्रेक्षा एंटरटेनमेंट्स की निदेशक दीपमाला मेवाडा, गीतांजली हॉस्पिटल से स्त्री व प्रसूती रोग विभाग की प्रोफेसर एंड हेड डॉ अंजना वर्मा व उनकी टीम से डॉ पूजा गाँधी ने अपने विचार साझा किये।

संचालन कल्पेश चंद रजबार (हेड मार्केटिंग) एवं हरलीन गंभीर (हेड पीआर) ने किया ।

यह आयोजन न केवल मदर्स डे की भव्य शुरुआत थी, बल्कि मातृत्व के सम्मान में समर्पित एक प्रेरणास्पद पहल भी रही। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मान देना और समाज में उनके महत्व को उजागर करना है।

सार-समाचार

आर.एस.एम.एम. की प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रमाण-पत्र मिला

उदयपुर, । आर. एस.एम.एम. के प्रबंध निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के नेतृत्व में आर.एस. एम.एम. की झामरकोटडा खदान के रॉक फॉस्फेट की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबराट्रीज द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। झामर कोटड़ा खदान की केन्द्रीय प्रयोगशाला, अयस्क और खनिज रॉक फॉस्फेट की गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजस्थान में चौथा एवं सरकारी स्तर पर राजस्थान का पहला एनएबीएल प्रयोगशाला बन गया है। झामरकोटडा खदान के समूह महाप्रबंधक आर.के. शर्मा ने बताया की आई. एस.ओ.17025:2017 मानक के अनुसार गुणवत्ता में मान्यता दी है। एनएबीएल प्रमाण-पत्र हमारे केन्द्रीय प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट की प्रमाणिकता को दर्शाता है। उक्त प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने में झामरकोटडा स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. दिनेश सिंह बाघेला, प्रबंधक डॉ. विनोद यादव, प्रबंधक पंकज कुमार सिंह एवं प्रयोगशाला के कर्मचारियों का योगदान रहा।

ठंडे पानी की प्याऊ लगाई

उदयपुर । राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड अधीनस्थ स्थानीय संघ बडगांव की पंजीकृत इकाई 53 वां उदय ओपन रोवर क्रू भुवाणा ने भुवाणा चौराहे के पास ठंडे पानी की प्याऊ लगाकर आम जनता को गर्मी में राहत प्रदान करने का कार्य किया। रोवर लीडर सुरेश कुमार प्रजापत ने बताया कि ठंडे पानी की प्याऊ का उद्घाटन भारत स्काउट व गाइड के सी.ओ.स्काउट सुरेंद्र कुमार पाण्डे के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उदय ओपन रोवर के कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्य तथा रोवर्स आदि मोहन लाल डांगी सरपंच भुवाणा सरपंच, दीप लाल मेनारिया, भामाशाह प्रेम शंकर डांगी, सुरेश डांगी, नारायण डांगी, नीरज, किशोर, राहुल मेनारिया, प्रकाश प्रजापत, देवी लाल गमेती उपस्थित रहे। इस कार्य में श्रीनाथ वाटर सप्लाई का सहयोग रहेगा।

डॉ. मेहता की जयंती पर विविध आयोजन

उदयपुर, 18 अप्रैल। शिक्षाविद, समाजसेवा के पथप्रदर्शक पद्म भूषण डॉ. मोहन सिंह मेहता की 13०वीं जयंती 20 अप्रैल को विद्या भवन विद्या बंधु संस्थान द्वारा स्नेह मिलन एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के सांस्कृतिक मंत्री गोपाल कृष्ण बम्ब ने बताया कि समारोह में वर्ष 1988 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सपरिवार आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस 1975 के बैच के विद्यार्थियों को स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर निकलने के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उन पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, कला, खेल, समाज सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संस्थान की अध्यक्षा पुष्पा शर्मा ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ पुराने मित्रों से मिलने का ही नहीं, बल्कि विद्यालय के प्रति आत्मीयता और संबंधों को और अधिक गहरा करने का माध्यम भी है। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अनुभव साझा करने के सत्र, पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी।

निशुल्क चिकित्सा 20 को

उदयपुर, । निशुल्क चिकित्सा एवं जांच नीलकंठ महादेव मंदिर में आयोजित होगा। औदुम्बर ब्राह्मण महासभा उदयपुर के अध्यक्ष भेरूशंकर दुबे ने बताया कि औदुम्बर महासभा एवं नीलकंठ महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में निशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर 20 अप्रैल को नीलकंठ महादेव मंदिरआयोजित किया जा रहा है जिसमें समाज के एवं नीलकंठ सेवा समिति के सदस्यों का निशुल्क रक्त जांच श्री श्याम बायोटेक लेब एंड स्कैन एवं निशुल्क नेत्र जांच की जाएगी,यही पर उदयपुर के विख्यात डॉक्टर्स भी अपना परामर्श निशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जिसमें अस्थि एवं जोड प्रत्यारोपण ,गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, कैंसर रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही यहां रजिस्टर्ड व्यक्तियों को बायोटेक लेब एंड स्कैन पर अन्य रक्त जांच,सोनोग्राफी कराने पर विशेष छूट भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वादपदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय श्रीमान माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर (राज.)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा केशव नगर, उदयपुर (राज.)

बनाम

श्री बाबु लाल मीणा पुत्र श्री राम किशन मीणा......प्रतिवादी

वाद संख्या 35/2024 ई.डी.

प्रेषित

श्री बाबु लाल मीणा पुत्र श्री राम किशन मीणा

आर/ओ काली कल्याण धाम, बांसवाड़ा एवं दुसरा पता कार्मिक जरिये आचार्य महोदय, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)

चूंकि वादी ने आपके विरूद्ध वास्ते वसुली राशि 7,34,351/- (अक्षरें सात लाख चौंतीस हजार तीन सौ इक्यावन रूपये) के लिए एक वाद संस्थित किया है । अत: आपको एतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयम् ऐसे या अधिवक्ता जो कि सम्यकरूपेण अनुदिष्ट हो व वाद सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा दिनांक 23.04.2025 के दिवस को 7.30 AM बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थिति हो और आगे आपको एतद् द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और उसी दिन वे सब प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो व जिन पर आप अपना प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो, भी प्रस्तुत करें तथा जहां आप किसी अन्य प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो या न हो पर अपनी प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा के समर्थ में साक्ष्य के रूप में भरोसा रखते हो, उन प्रलेखों को अपने लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

सूचित रहे कि पूर्णवर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यतिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

हस्ताक्षर

सूचना: 1. यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षी अपनी इच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थित होने हेतु विवश करने के लिए और किसी ऐसे प्रलेख को प्रस्तुत कराने हेतु जिसे कि प्रस्तुत कराने हेतु साक्षी को समाहूत करने के लिए आपको अधिकार है आप न्यायालय के सम्मन जारी करा सकते हैं। 2. यदि आप दावे को स्वीकारोक्त करते हो तो आप दावे के व्यय सहित धन इस न्यायालय में जमा करावे ताकि ऐसी अज्ञाप्ति जो कि आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति या दोनों के खिलाफ हो, निष्पादन से परिवर्जित हो जाये। 3. प्रतिवादी अपने जवाबदावे के साथ दावे से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज पेश करें। 4. प्रतिवादी अपना जवाब दावा 30 दिन के भीतर पेश करें।

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 531 दिनांक:18/04/2025

लोक-सूचना

श्री दीपक पहाड़िया पिता श्री भंवरलाल खटीक निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	किशोरनगर	1140/767	रकबा 0.0513 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ....को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 528 दिनांक:18/04/2025

लोक-सूचना

श्री दिनेश पहाड़िया पिता श्री भंवरलाल खटीक निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	राजनगर	1649/653	रकबा 0.0135 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ....को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 519 दिनांक:18/04/2025

लोक-सूचना

श्री दीपक पहाड़िया पिता श्री भंवरलाल खटीक निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	राजनगर	1648/653	रकबा 0.0135 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ....को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द